

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09112022-240106 CG-DL-E-09112022-240106

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4981] No. 4981] नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 7, 2022/कार्तिक 16, 1944 NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 7, 2022/KARTIKA 16, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 नवम्बर, 2022

का.आ. 5200(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से NH34 (108) के कि.मी 42.900 से 86.120.गंगोत्री-धरासू मार्ग. उत्तराखंड राज्य के तक के पेव्ड शोल्डर के साथ के भूखण्ड का निर्माण (दो लेन निर्माण, चौडीकरण, सुरंगनिर्माण आदि) में उन्नयन हेतु उक्त अनुसूची के स्तम्भ (4), (5), (6) और (7) में क्रमशः उल्लिखित राज्य, जिलों, तालुकों और गावों से सम्बन्धित उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट भूमि के सम्बन्ध में अनुसूची के स्तम्भ (2) में उल्लिखित अधिकारियों को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम अधिकारियों के कृत्यों का निष्पादन करने के लिए एतद्वारा सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

अनुसूची उत्तराखंड राज्य में राष्टीय राजमार्ग संख्या-NH34(108) गंगोत्री-धरासु मार्ग के कि.मी 42.900 से 86.120 पर भूमि का अधिग्रहण

क्रमिक संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूमि का विवरण	राज्य	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	अपर जिलाधिकारी।	•	उत्तराखंड	उत्तर कशी	भटवारी	1 सुक्की

7408GI/2022 (1)

	1		<u> </u>		
	NH34 के कि.मी. 42.9			2	भंगेली सुनगर क्यार्क भटवाड़ी मल्ला लाटा कुमाल्टी सैंज औंगी मनेरी हुरी हीना तिहार कुज्जन पाला
	से 86.12			3	सुनगर
	तक			4	क्यार्क
				5	भटवाड़ी
				6	मल्ला
				7	लाटा
				8	कुमाल्टी
				9	सैंज
				10	औंगी
				11	मनेरी
				12	हुरी
				13	हीना
				14	तिहार
				15	कुज्जन
				16	पाला

[फा. सं. RO/UK/NH-34(108)Gangotri-BarethiI/LA/01] राजेश गृप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS NOTIFICATION

New Delhi, the 7th November, 2022

S.O. 5200(E).—In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land km 42.900 to km 86.120.specified in the corresponding entry in column (3) of the said Schedule relating to state, districts, taluk and villages mentioned in column (4), (5), (6) and (7) respectively of the said Schedule for upgradation to 2 laning with paved shoulders of km. 42.9 to 86.12 of Office of the district for building (two laning, widening and Tunnel construction etc.) Maintenance,management and operation Gangotri-Dharasu Road in the State of Uttarakhand.

SCHEDULE

Land acquisition on National Highway No. NH-34(108) Gangotri-Dharasu Road in the State of uttarakhand on the stretch from 42.900 to km 86.120

Sl. No.	III		State District		Taluk/Mandal	Name of the Village	
1	2	3	4	5	6	7	
	Additional District Magistrate.	42.9KM To 86.12KM	UTTARAKHAND	UTTARKASHI	Bhatwari 2	Sukhi Bhangeli	

O			3 4 5 6 7 8	Sunnagar Kyark Bhatwari Malla Lata Kumalti Sainj Aungi Maneri Hurri Heena Tihar Kujjan Pala
()				Kyark
			5	Bhatwari
			6	Malla
			7	Lata
			8	Kumalti
			9	Sainj
			10	Aungi
			11	Maneri
			12	Hurri
			13	Heena
			14	Tihar
			15	Kujjan
			16	Pala

[F. No. RO/UK/NH-34(108)Gangotri-BarethiI/LA/01]

RAJESH GUPTA, Director